

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: अपील/134/2015

दायर दिनांक: 15.12.2015

1. नूर सिकंदर पुत्र श्री बरकतअली खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमती उषा पुत्री श्री बरकत अली कौम मुसलमान निवासीगण फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारआम-नूर सिकन्दर पुत्र श्री बरकतअली खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. फरोज अली पुत्र बरकत अली खांकौम मुसलमान निवासीगण फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारआम-नूर सिकन्दर पुत्र श्री बरकतअली खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. कुमारी रानी पुत्री बरकतअली खां कौम मुसलमान निवासीगण फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारआम-नूर सिकन्दर पुत्र श्री बरकतअली खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. अमानत अली पुत्र बरकतअली खां कौम मुसलमान निवासीगण फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारआम-नूर सिकन्दर पुत्र श्री बरकतअली खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. रियासत अली पुत्र बरकतअली खां कौम मुसलमान निवासीगण फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारआम-नूर सिकन्दर पुत्र श्री बरकतअली खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. हलीमा बेगम पत्नी बरकतअली खां (मृतक) कौम मुसलमान निवासीगण फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारआम-नूर सिकन्दर पुत्र श्री बरकतअली खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

(अपीलांटस)

बनाम

1. भाखा खातून पुत्र दिलवार खां जाति मुसलमान निवासी 5 केएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर (राजस्थान)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत रोजड़ी तहसील घड़साना
3. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) घड़साना जिला श्रीगंगानगर
4. असमा पत्नी तालम जाति मुसलमानच निवासी लबाणा तहसील पीलीबंगा हाल निवासी 3 एमजीएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

(रेस्पोंडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री योगेन्द्र कुमार अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांक:- 08.7.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन कृषि भूमि वाके चक नं. 3 एमजीएम तहसील घड़साना का मुरब्बा नं. 56/27 का किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 कुल 9 बीघा रकबा अपीलांटस के पिता/पति श्री बरकतअली खां पुत्र गुलाम खां को आवंटित हुआ था। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने रेस्पोंडेंट सं. 3 तहसीलदार घड़साना के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश किया कि मूल आवंटी बरकतअली खां का देहान्त हो चुका है इसलिए वसीयत दिनांक 14.02.1996 के आधार पर इंतकाल उसके पक्ष में स्वीकृत किया जावे जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.04.1999 को स्वीकार कर पत्रांक: भू.अ./ 1222 दिनांक 13.04.1999 को पटवारी हल्का को वसीयत 14.02.1996 के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने हेतु प्रेषित किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 73 दर्ज किया जो सरपंच ग्राम पंचायत रोजड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त इंतकाल रेस्पोंडेंट सं 0 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। अपीलांटस के पिता/पति की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। तथाकथित वसीयत दिनांक 14.02.1996 अपीलांटस के पिता/पति श्री बरकतअली खां द्वारा निष्पादित नहीं की गई है और ना ही तथाकथित वसीयत पर अपीलांट के पिता/पति का अंगूठा है एवं ना ही अपीलांट के पिता/पति ने तथाकथित वसीयत नोटरी पब्लिक से



अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

तस्दीक करवाई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.1999 एवं उसकी पालना में स्वीकृतशुदा इंतकाल संख्या 73 गलत, विधि विरुद्ध, अवैध, शून्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अवसर प्रदान किया गया। इंतकाल की जांच की गई तथा अपीलांट को ना ही सुनवाई का समुचित गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दि. 08.04.1999 एवं उसकी पालना में स्वीकृतशुदा इंतकाल संख्या 73 निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार हाजिर आये व रेस्पोंडेंट संख्या संख्या 3 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुये। रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 व 4 के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस उमय पक्ष सुनी गई।
 3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान ना करते हुए अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया है। अपीलांटगण अपीलाधीन कृषि भूमि के मूल आवंटी बरकत अली खां के विधिक वारिसान है। बरकतअली खां की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे।
 4. पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख पाये है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
 5. धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश अपीलांट को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना समस्त तथ्यों की जांच करवाये बिना तथा वारिसान की जांच करवाये बिना आदेश पारित किया है। अपीलांट को पटवारी हल्का के मार्फत उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 16.11.2015 को हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।
 6. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा जिसका पैरोकार राज ने कोई जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उमय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वसीयत में मृतक बरकतअली के किसी वारिस का नाम अंकित नहीं है एवं बरकतअली द्वारा अपने वारिसों यथा पत्नी व सन्तान को अपीलाधीन कृषि भूमि नहीं दिये जाने का कोई ब्यौरा नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया वसीयत संदिग्ध प्रतीत होती है। वसीयत के सत्यता व प्रमाणिकता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई तथा ना ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध हुई है। अपीलांटस के पिता/पति की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। तथाकथित वसीयत दिनांक 14.02.1996 अपीलांट के पिता/पति श्री बरकतअली खां द्वारा निष्पादित नहीं है और ना ही तथाकथित वसीयत पर अपीलांट के पिता/पति का अंगूठा है एव ना ही अपीलांट के पिता/पति ने तथाकथित वसीयत नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.1999 एवं उसकी पालना में स्वीकृतशुदा इंतकाल संख्या 73 गलत, विधि विरुद्ध, अवैध, शून्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से



अतिरिक्त जिला कलक्टर
जुहतागढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांत को ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इंतकाल की सारी कार्यवाही आनन-फानन में तथा विधि विरुद्ध तरीके से की गई। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.1999 एवं उसकी रूह से स्वीकृतशुदा इंतकाल संख्या 73 निरस्त फरमाया जावे।


8. पैरोकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील इंतकाल नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए ही स्वीकृत किये गये है। अपीलांत की यह अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। भाखा खातुन पुत्र दिलावर खां ने बरकत अली पुत्र गुलाम खॉ द्वारा भाखा खातुन के पक्ष में दिनांक 14.2.96 को निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के सम्मक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.1998 को पेश किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया गया। उक्त वसीयत का अवलोकन किया गया। जैर प्रकरण भूमि तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर की है जबकि लाल खॉ द्वारा निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 14.02.1996 को लिखी जाकर उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध ना होकर नोटेरी पब्लिक बीकानेर जिला बीकानेर के दफ्तर में दिनांक 14.02.1996 को ही निष्पादित की गई है जो सन्देहास्पद प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सन्देहास्पद वसीयत के आधार पर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट संख्या 01 भाखा खातुन के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए बरकत अली के वारिसान को सुनवाई का नोटिस दिये बिना सीधे ही दैनिक सामाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बरकत अली के विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.4.1999 व उसके आधार पर चक 3 एमजीएम तहसील घडसाना का इंतकाल संख्या 73 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि श्री बरकतअली खां के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़